प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

(मार्च, **2020**)

*****

1. फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तहत प्रगति

1.1 आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी): अब तक 62000 से अधिक का आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) का अनुमोदन किया गया है। इनमें से, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एचडब्ल्यूसी पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2020 तक 38595 एचडब्ल्यूसी कार्य करने लगे हैं।

1.2 आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमएवाई): मार्च 2020 के दौरान पीएमजेएवाई के तहत हुई प्रगति इस प्रकार है:

मैट्रिक	**03.03.2020** के अनुसार	**31.03.2020** तक	प्रगति
जारी किए गए ई-कार्ड*	12,30,95,377	12,44,77,584	1382207
अस्पतालों में दाखिले	88,39,113	95,07,555	668442
अस्पतालों में दाखिले के लिए प्राधिकृत राशि	12191.9 करोड़	12945.4 करोड़	753.5 करोड़

नोट: उपर्युक्त सूचना राज्य स्कीमों के साथ मिलकर पीएमजेएवाई के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों के संबंध में है। जारी किए गए ई-कार्ड में राज्यों द्वारा अपनी आईटी प्रणाली का उपयोग करके पीएमजेएवाई लाभार्थियों के लिए बनाए गए 4.68 करोड़ स्टेट कार्ड शामिल हैं।

1.3 गहन मिशन इंद्रधनुष: मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों में लगभग 3.76 करोड बच्चों और 94.6 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। मार्च 2020 में, आईएमआई 2.0 के 4 दौर आयोजित किए गए, जिनमें 7.36 लाख बच्चों और 1.52 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।

2. कोविड-19 महामारी:

2.1 कोविड-19 के परिदृश्य को देखते हुए, नाको ने सभी राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटियों और राज्य रक्ताधान परिषदों को क्रमशः 23 मार्च, 2020 को **"राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एचआईवी/ एड्स प्रतिक्रिया से जुड़े व्यक्तियों"** और "25 मार्च, 2020 को **"रक्ताधान सेवाओं"** के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

2.2 कोविड-19 परिदृश्य के दौरान रक्त केंद्रों और रक्ताधान सेवाओं में किए जाने वाले निवारक उत्पादों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए नाको, नई दिल्ली में 17 मार्च, 2020 को एक परामर्शी बैठक की गई। कोविड-19 के दौरान एंटायरट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए 17 मार्च, 2020 को नाको, नई दिल्ली में विशेषज्ञ समूह की बैठक हुई।

2.3 कोविड-19 महामारी के परिदृश्य और देशव्यापी लॉकडाउन में एचआईवी से ग्रस्त व्यक्तियों (पीएलएचआईवी) को निर्बाध एआरटी सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने में विभिन्न राज्यों द्वारा

किए गए उपायों और उनके सामने आने वाली समस्याओं का संज्ञान लेने के लिए 26 मार्च, 2020 को एक बैच-वार ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई।

2.4 आशाकर्मियों और आशा सहयोगियों द्वारा किए गए कोविड-19 संबंधी कार्य के लिए उन्हें दिए जाने वाले प्रोत्साहनों, आपातकालीन अनुक्रिया योजना के हिस्से के रूप में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि के उपयोग के लिए मार्गदर्शन पत्र, कोविड-19 के दौरान डायलिसिस सेवाओं के संबंध में मार्गदर्शन के बारे में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया है।

2.5 मार्च, 2020 के दौरान राज्यों को कुछ आरओपी जारी किए गए थे। कोविड-19 महामारी के प्रारंभ से ही लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और केवल कोविड-19 समर्पित अस्पतालों के सर्जन से संबंधित आंकड़ों का दैनिक आधार पर संग्रहण किया गया।

2.6 कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश, परामर्श पत्र, प्रोटोकॉल निम्नानुसार हैं:

(i) 02.03.2020- कोविड-19 के लिए क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान

(ii) 10.03.2020- कोविड-19 के प्रबंधन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी)- बड़े भारतीय बंदरगाहों पर अंतरराष्ट्रीय क्रूज शिप

(iii) 15.03.2020- शव प्रबंधन पर दिशानिर्देश

(iv) 17.03.2020- कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों को निजी संस्थानों द्वारा अधिसूचित किए जाने के बारे में दिशानिर्देश

(v) 17.03.2020- कोविड-19 के क्लिनिकल प्रबंधन पर अद्यतन दिशानिर्देश (31 मार्च, 2020 को अद्यतन किया गया)

(vi) 17.03.2019- नोवल कोरोना वायरस (2019-एनसीओवी) के संदिग्ध या प्रतिपुष्ट मामलों के लिए डिस्चार्ज नीति

(vii) 24.03.2020- कोविड-19 के स्थानीय फैलाव को रोकने के लिए मॉडल माइक्रो प्लान

(viii) 24.03.2020- निजी सुरक्षा उपस्कर के तर्कसंगत प्रयोग पर दिशानिर्देश

(ix) 29.03.2020- कोविड-19 के किसी संदिग्ध या प्रतिपुष्ट मामले को लाने-लेजाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी)

(x) 29.03.2020- कार्यालयों समेत सामान्य सार्वजनिक स्थानों के विसंक्रमण पर दिशानिर्देश

(xi) 31.03.2020- प्रवासी कामगारों के क्वारंटीन के लिए परामर्श

(xii) 31.03.2020- कोविड-19 के लिए वेंटिलेटर हेतु अनिवार्य तकनीकी विशेषताएं

(xiii) 31.03.2020- कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय क्लिनिकल प्रबंधन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश

3. प्रमुख घटनाएं:

3.1 29 फरवरी से 3 मार्च, 2020 के दौरान जेद्दा, सऊदी अरब में जी-20 डिजिटल हेल्थ वर्कशॉप और जी-20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आयोजित हुई।

3.2 मंत्रालय ने 24 मार्च, 2020 को विश्व सहयोग क्षयरोग दिवस को समारोह के साथ मनाया और वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया।

3.3 मंत्रालय द्वारा 4 मार्च, 2020 को कनॉट प्लेस, नई दिल्ली स्थित सेंट्रल पार्क में "फोर्टीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज ऑफ टीबी सरवाइवर्स" विषय पर एक फोटो प्रदर्शनी प्रारंभ की है।

4. विविध

4.1 माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को पत्र लिखा गया है जिसमें कुष्ठरोग के कारण शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों (40% से कम दिव्यांगता के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ) तथा ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के साथ उसके एक साथी को परिवहन किराए में अपेक्षित छूट दिए जाने की सिफारिश की गई है।

4.2 डॉल्यूटग्रेविर (डीटीजी) ट्रांजिशन प्रीपेयर्डनेस (ट्रांजिशन योजना, सूचना का प्रचार प्रसार, क्षमता निर्माण, आंकड़ा प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित मामले इत्यादि) के ब्यौरे के संबंध में चर्चा करने के लिए 23 मार्च, 2020 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया था।

4.3 ट्रांसजेंडर संबंधी अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में किए जाने वाले उपायों के बारे में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र भेजा गया था।

4.4 एबी-एचडब्ल्यूसी के लिए जन आरोग्य समितियों के बारे में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मसौदा परिचालित किया गया है।

4.5 21वीं शताब्दी के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र निर्माण ब्लॉकों के संबंध में नीति आयोग की रिपोर्ट के संबंध में मंत्रालय की टिप्पणीयां नीति आयोग को भेज दी गई हैं।

4.6 सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रतिस्थापन औषधियों (पाइराजिनामाइड, एमिकासिन, एथियोनामाइड, पीएएस तथा इथाम्बूटोल) की आवश्यकता का आकलन करें तथा डीआर-टीबी के मरीजों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में प्रतिस्थापन औषधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय को भेजें।

5. न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, अधिकतम सुशासन: शून्य।

******